रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 675] नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 6, 2017/फाल्गुन 15, 1938
No. 675] NEW DELHI, MONDAY, MARCH 6, 2017/PHLAGUNA 15, 1938

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2017

का.आ. 750(अ).— हिमाचल प्रदेश राज्य ने वनों से बाहर के क्षेत्रों में 'रीसस मकाक' बंदरों की अत्यधिक संख्या के कारण बड़े पैमाने पर खेती के विनाश होने सहित जीवन और संपत्ति की हानि होने की रिपोर्ट दी है;

और केंद्रीय सरकार ने वनों में वन्यजीवों का संरक्षण सुनिश्चित करने के लिए राज्य में मानव जीवन, फसलों और अन्य संपत्तियों के नुकसान को कम करने के लिए इस प्रजाति की स्थानीय संख्या को संतुलित करना आवश्यक समझा है ।

और जबकि केंद्रीय सरकार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं. का. आ. 1922 (अ) तारीख 24 मई, 2016 द्वारा उक्त अधिनियम की अनुसूची-2 के भाग-I की क्रम संख्या 17-क पर सूचीबद्ध रीसस मकाक *(मकाका मुलाटा)* को राजपत्र में उक्त अधिसूचना के जारी होने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए उस अधिसूचना में हिमाचल प्रदेश के विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में पीड़क जंतु के रूप में और इसे उक्त अधिनियम की अनुसूची-5 में सम्मिलित करती है।

अत:, अब, केंद्रीय सरकार वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम, 1972 (1972 का 53) की धारा 62 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना सं. का. आ. 1922 (अ) तारीख 24 मई, 2016 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, सारणी के स्तंभ (4) में क्रम संख्या 5, के सामने "नेरवा" शब्द के पश्चात "शिमला नगर निगम सीमाएं" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 1-26/2015-डब्ल्यू एल-(भाग)

डॉ. सुरेश चन्द्र गैरोला, अपर वन महानिदेशक (वन्यजीव)

टिप्पण: मूल अधिसूचना सं. का. आ. 1922 (अ) तारीख 24 मई, 2016 द्वारा प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF ENVIRONMENT, FORESTS AND CLIMATE CHANGE

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 2017

S.O. 750(E).— Whereas, the State of Himachal Pradesh has reported harm to life and property including large scale destruction of agriculture due to overpopulation of Rhesus Macaque monkeys in areas outside forests;

And whereas, the Central Government has considered it necessary to balance local population of this species to mitigate the damage to human life, crops and other properties of the State for ensuring conservation of wildlife in forests.

And whereas, in exercise of the powers conferred by section 62 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government, vide notification number S.O. 1922(E), dated the 24th May, 2016, declared Rhesus Macaque (*Macaca mulatta*), listed at serial number 17-A of Part I of Schedule II to the said Act, as vermin and included in Schedule V of the said Act, for a period of one year from the date of the publication of the said notification in the Official Gazette, in the areas of Himachal Pradesh specified in that notification.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 62 of the Wild Life (Protection) Act, 1972 (53 of 1972), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification number S.O. 1922(E), dated the 24th May, 2016, namely:-

In the said notification, in the Table, against serial number 5, in column (4), after the word "Nerwa", the words "Shimla Municipal Corporation limits" shall be inserted.

[F. No. 1-26/2015- WL-(pt)]
Dr. SURESH CHANDRA GAIROLA, Addl. Director General of Forests (WL)

Note: The principal notification was published vide number S.O. 1922(E), dated the 24th May, 2016

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

ALOK KUMAR
Digitally signed by ALOK KUMAR
Date: 2017.03.08 15:06:25 +05'30'